उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो।

(जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार)

(अति अल्पकालीन निविदा सूचना)

कोरोना Covid-19 के वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु पूरे भारतवर्ष में Lockdown है। सरकार के सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) झारखण्ड सरकार के पत्रांक 877 दिनांक 13.05.2020 के द्वारा प्राप्त दिनांक 11.05.2020 की आहूत राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में Migrant Llabourers जो राज्य के बाहर से आ रहे है एवं Home Quarantine किए जा रहे है उन्हें एक बार में निम्न वर्णित सामग्रियों को Dry Ration Food Packet उपलब्ध कराया जाना है। चावल का कय Food Corporation of India से उसके द्वारा निर्धारित दर पर तथा शेष सामग्रियों का कय खुले बाजार से नियमानुसार किया जाएगा। उक्त Dry Ration Food Packet पर अधिकतम रू0 550 प्रति Packet व्यय अनुमान्य होगा, जिसमें परिवहन, हथालन तथा पैकेजिंग पर व्यय सम्मिलित है। सूखा राशन का पैकेट तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता को प्रति पैकेट 550.00 (पॉच सौ पचास)रू0 की दर से (सभी कर सहित) अधिक दर अनुमान्य नहीं होगा। उक्त के आलोक में निविदा आमंत्रित की जा रही है, जिसमें निम्नांकित शर्तो के अधीन आपूर्तिकर्त्ता से मुहरबंद निविदाएं दिनांक 22.05.2020 के 1.00 बजे अपराह्न तक आंमत्रित की जाती है :–

क0सं0	वस्तु की विवरणी।	मात्रा
1	चावल (F.C.I से उसके द्वारा निर्धारित दर पर)	10 (दस) कि0 ग्रा0
2	अरहर दाल	01 (एक) कि0 ग्रा0
3	चना दाल	01 (एक) कि0 ग्रा0
4	सरसों तेल	01 (एक) लीटर
5	नमक	01 (एक) कि0 ग्रा0

निविदा की अन्य शर्ते :–

1. इच्छुक निविदादाता दिनांक 22.05.2020 के 1.00 बजे बजे अपराह्न तक जिला नजारत शाखा बोकारो में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मुहरबंद निविदा दे सकते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएं स्वीकार नही की जायेगी। निविदाएं उसी दिन यानी 22.05.2020 को ही अपराह्न 02.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी।
2. सभी निविदाएं द्विलिफाफा प्रणाली (Double Envelope System) के अनुसार डाली जाएगी। जिसमें तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड की दोनो मुहरबंद लिफाफे अलग–अलग सभी आवश्यक कागजातों के साथ डाले जायेंगे। निविदादाता तीसरे लिफाफे में उक्त दोनो लिफाफा को डालकर मुहरबंद करेंगे, लिफाफे के उपर अपना नाम, पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे।
3. सामग्री आपूर्ति में अनियमितता बरती जाने के आरोप में काली सूची में नही डाले गये है एवं खाद्य सामग्री आपूर्ति से संबंधित कार्य करने का Undertaking देना होगा।
4. निविदाकर्त्ता को GST मे निबंधित होने का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
5. निविदादाता को निविदा के साथ पिछले 3 वर्षो का अधतन् आयकर प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
6. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 25000.00 (पच्चीस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो उपायुक्त, बोकारो के पदनाम से देय होगा।
7. पैकिजिंग चार्ज/लेबर चार्ज/ परिवहन चार्ज आपूर्तिकर्ता को स्वयं वहन करना होगा।
8. चयनित एजेन्सी को जिला नजारत उपसमाहर्त्ता बोकारो के साथ एकरारनामा करना होगा।
9. निविदा को रद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. निविदा से संबंधित सामग्रियों का व्यौरा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

उपायुक्त,
बोकारो।

ज्ञापांक 977 /रा0 दिनांक 15/05/2020

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि एन0आई0सी0, के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपिः– जिला नजारत उपसमाहर्त्ता बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला आपूर्ति पदाधिकारी बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी चास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि चार प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

उपायुक्त,
बोकारो।